material is Rs. 1.64 lakhs. The material has been recovered as Iron Scrap which is proposed to be sold to the market and as such the loss will be minimal. As per Enquiry Committee, the hearth breakout could be due to design deficiency of refractory lining of hearth region.

(d) One person died of suffocation and burn injuries. There was no other casuality.

(e) & (f) The relevant information is as follows :—

(i) Rs. 86,112/- as compensation under the Workmen Compensation Act has been deposited with the Commissioner for Workmen Compensation.

(ii) Rs. 30,000/- have already been paid by Steel Employees Welfare Association (SEWA) to the dependent of the deceased employee.

(iii) Rs. 1,000/- paid towards funeral expenses.

(IV) Action has already been taken for making payment of Gratuity, CPF amount, Life Cover Scheme benefits etc. at the earliest.

(v) Employment on compassionate ground as Attendant in the scale of Rs. 1350—1630/- (L-l) has been offered to the wife of the deceased employee.

टिस्को के प्रबंधन में अनियमितताओं के कारण सरकार को राजस्व की हानि

1841. **श्री राम नरेश अवधेश सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टिस्को प्रबंधन द्वारा अपने कुल उत्पादन का उच्च कोटि का लगभग 10% इस्पात "अस्वीकृत इस्पात" का मार्क लगा कर बेच दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है जिसमें उत्पाद शुल्क, आय-कर और बिक्री-कर सहित सरकार को होने वाले करों की हानि तथा शेयर धारियों को मिलने वाली लाभांश की राशि भी शामिल है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टिस्को प्रबंधन द्वारा उच्च कोटि के कोयले की "अस्वीकृत कोयला" मार्क लगा कर बेचने से काफ़ी लाभ कमाया जाता है तथा इससे सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की भारी हानि होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि टिस्को में टाटा की शेयर पूंजी मात्र 3 प्रतिशत है, यदि हां, तो सरकार द्वारा उन लोगों के हाथ से प्रबंधन अपने नियंत्रण में न लेने के क्या कारण हैं जो सरकारी राजस्व की इतनी हानि के जिम्मेदार हैं ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अस्वीकृत इस्पात गैर-संयुक्त संयंत्र समिति की मद है। इसे एकीकृत इस्पात कारखानों द्वारा उनकी विपणन नीतियों के अनुसार बेचा जा सकता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टिस्को में टाटा की विभिन्न कम्पनियों की शेयर धारिता 6.99% है । टिस्को देश में निजी क्षेत्र की एक सु-व्यवस्थित कम्पनी है । इसके प्रबंधन का अधिग्रहण करने के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

External Debt Position of the Country

1842. SHRI JAGESH DESAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's external debt is going from bad to worse according to world debt tables (1989-90) computed by the World Bank ; and

(b) if so, what steps Government propose to reduce this gradually ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) and (b) No, Sir. The level of country's external debt and likely burden of debt servicing are being constantly kept in view to ensure that they remain within manageable limits. Government have taken a number of steps to boost exports and increase invisible earnings, contain imports, improve disbursement of committed aid/loan and to ensure that dependence on external financing is contained.

प्राकृतिक विपदाओं के लिए राजस्थान में स्थापित किया गया आवर्ती कोष

1843. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार राजस्थान में प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए स्थापित किये गये आवर्ती कोष हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस कोष से धनराशि लिए जाने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक इस कोष से कितनी राशि निकाली गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष जुलाई में राजस्थान के अधिकांश जिले भयंकर अकाल और बाढ़ की चपेट में रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या पीड़ितों को इस कोष में से कोई राहत प्रदान की गई, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इस कोष से धनराशि लेने के लिए राज्य सरकार के पास अंशदान के लिए 25 प्रतिशत राशि नहीं है यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार या यह कोष राज्य में बाढ़ या अकाल के समय राज्य सरकार को राहत प्रदान कर सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) नवें वित्त आयोग द्वारा अपनी दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत पर होने वाले व्यय को पूरा करने के वास्ते राजस्थान के लिए 1990-95 की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 124 करोड़ रुपये की राशि के संग्रह से एक आपदा राहत कोष स्थापित किया जाना है । केन्द्र सरकार इस कोष में प्रतिवर्ष 75 प्रतिशत अर्थात् 93 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी तथा शेष राशि राज्य सरकार देगी । यह बात विचाराधीन है कि इस कोष को किस तरह स्थापित एवं प्रचालित किया जाए ।

(ग) कोष के ब्यौरे को अग्रिम रुपये दिए जाने तक राज्य सरकार को राहत उपाय करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार को उनके अनुरोध पर चालू वर्ष में अब तक 23.25 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है ।

(घ) चालू मानसून अवधि के दौरान राज्य सरकार से राजस्थान के किसी भी हिस्से में सूखे की स्थिति के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त